सारण समाहरणालय, छपरा
(जिला गोपनीय शाखा)

पत्रांक 3471 /सी	फोन नं0 :- 06152-240001, 240002, 240005
दिनांक 17 अगस्त,2021	फैक्स नं0 :- 06152-240006
	ई-मेल :- dm-saran.bih@nic.in

मुहर्रम संयुक्त आदेश

इस वर्ष मुहर्रम का त्योहार दिनांक 20.8.2021 को मनाये जाने की सूचना है। चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुरूप यह एक दिन आगे या पीछे भी मनाया जा सकता है। यह पर्व मुस्लिम समुदाय के शिया और सुन्नी दोनों सम्प्रदायों के द्वारा अपनी परंपराओं के अनुरूप मनाया जाता है। इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 3415/सी दिनांक 13.8.2021 द्वारा संयुक्त आदेश निर्गत किया गया है। उक्त आदेश में दिये गये निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। मुहर्रम में झण्डे के साथ ताजिया जुलूस निकाले जाने की परम्परा है। उल्लेखनीय है कि कोरोना वाइरस के संक्रमण को ले कर सम्पूर्ण राज्य में दिनांक 25 अगस्त 2021 तक लॉक डाउन लगा हुआ है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों पर रोक है। इसके साथ ही मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड और बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड ने भी लोगों से इस पर्व को घरों में रह कर ही मनाने की अपील किया है। मुहर्रम के अवसर पर कोरोना संक्रमण को ले कर सार्वजनिक आयोजनों की संभावना कम है तथापि इस संबंध में पर्याप्त सतर्कता अपेक्षित है। ताजिया का पहलाम उसी दिन अथवा 2-3 दिनों के उपरान्त किया जाता है। इस प्रकार विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से दिनांक 23.8.2021 तक व्यापक सतर्कता अपेक्षित है क्योंकि ऐसी संभावना है कि ग्रामीण क्षेत्रो में मुहर्रम पर्व के अवसर पर बिना अनुमति के भी लोगों के द्वारा जुलूस/ ताजिया निकालने का प्रयास किया जा सकता है।

विशेष शाखा से प्राप्त सूचनानुसार सारण जिलान्तर्गत निम्नलिखित स्थान विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील हैं:-

कमांक	थाना का नाम	संवेदनशील स्थान
1	2	3
1-	परसा	बनौता
2-	छपरा नगर	थाना चौक, तेलपा चौक और सोनारपट्टी
3-	मुफस्सिल	नेवाजी टोला, मुसेहरी
4-	दाउदपुर	सरयूपार गांव
5-	मकेर	मकेर बाजार और फुलवरिया
6-	कोपा	कोपा बाजार और कोपा चट्टी
7-	रिविलगंज	रिविलगंज बाजार, सेमरिया, गोदना मोड़ और जलालपुर

तदनुसार विधि व्यवस्था संधारण हेतु सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी निम्नलिखित कार्रवाई समयपूर्व सुनिश्चित करेंगे:-

1- स्थानीय शान्ति समिति तथा सिविल सोसायटी के लोगों, धार्मिक गुरूओं का सहयोग ले कर लोगों को मिल जुल कर रहने तथा प्रशासन का सहयोग किये जाने हेतु प्रेरित किया जाय।

2- पूर्व की घटनाओं में शामिल अभियुक्तों एवं अन्य असामाजिक तत्वों पर निरोधात्मक कार्रवाई, बंध पत्र एवं अन्य सभी उपाय सुनिश्चित किये जांय।

3- सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखी जाय एवं साइबर सेनानी तथा अन्य माध्यमों से अफवाहों का खण्डन किया जाय। अवांछित तथा विवादित टिप्पणी करने वालों पर यथोचित विधिसम्मत कार्रवाई की जाय।

4- जहां पर साम्प्रदायिक घटना घटने की संभावना हो वहां दोनों पक्षों पर निष्पक्ष रूप से धारा 107 दं0प्र0सं0 के अधीन निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

5- धार्मिक संगठनों तथा धर्म के नाम पर अफवाह/ द्वेष/ नफरत तथा गलतफहमी फैलाने वाले तत्वों को चिन्हित कर विधिक कार्रवाई की जाय। जिन क्षेत्रों में पूर्व से साम्प्रदायिक तनाव की घटना घटी हो या संभावना हो उन क्षेत्रों को पूर्व से चिन्हित कर स्थानीय शान्ति समिति का गठन कर आवश्यक कार्रवाई की जाय।

6- विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला स्तर से निम्नलिखित विवरणी के अनुसार वरीय दण्डाधिकारियों/ पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही हैः-

7- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पुलिस निरीक्षक, पुलिस अंचल और थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में सघन गश्ती करेंगे और किसी भी छोटी से छोटी घटना की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी सूचना जिला नियंत्रण कक्ष और वरीय पदाधिकारियों को देना सुनिश्चित करेंगे।

कमांक	वरीय पदाधिकारी का नाम	पुलिस पदाधिकारी का नाम	गश्ती क्षेत्र
1	2	3	4
1-	श्री हरिश्चन्द्र, उप नगर आयुक्त, नगर निगम छपरा- 7762094797	पु0अ0नि0 रामचन्द्र तिवारी, मुफस्सिल थाना- 8541985631	डोरीगंज, मोहद्दीपुर, रौजा, तेलपा, नेहरू चौक, गांधी चौक, भिखारी ठाकुर चौक, कटहरी बाग, बड़ी मस्जिद, मौना चौक
2-	श्रीमती अर्शी शाहीन, अपर अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, छपरा- 8434309880	पु0अ0नि0 देवानन्द कुमार, नगर थाना- 8521832064	जामा मस्जिद, मौना चौक, खनुआ नाला, साहेबगंज, सोनारपट्टी, नगरपालिका चौक, थाना चौक, महमूद चौक, नई बाजार, दारोगा राय चौक, पंकज सिनेमा
3-	श्री बलदेव चौधरी, वरीय उप समाहर्त्ता, सारण- 7870777662	पु0अ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह, भगवान बाजार थाना- 9431209115	टक्कर मोड़, दौलतगंज, चिकटोली,गुदरी, भगवान बाजार, नबीगंज, इनई, ब्रम्हपुर, जलालपुर, राजेन्द्र कॉलेज, मासूमगंज, धर्मनाथ मन्दिर
4-	श्री कौशल किशोर पासवान, जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण- 9123493687	पु0अ0नि0 उदय शंकर प्रसाद, रिविलगंज थाना- 9934245069	रिविलगंज थाना क्षेत्र

5-	श्री रवीन्द्र कुमार, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सारण- 8544423719	पु0अ0नि0 पुरूषोत्तम सिंह, कोपा थाना- 9498416072	कोपा थाना क्षेत्र
6-	श्री हिमांशु शेखर, कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल-2 छपरा- 8986915431	पु0अ0नि0 सुरेन्द्र कुमार चौधरी, रसूलपुर थाना- 9031074910	रसूलपुर थाना क्षेत्र
7-	श्री राजू कुमार, जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सारण- 7856861952	पु0अ0नि0 अजय कुमार, एकमा थाना- 9471451376	एकमा थाना क्षेत्र
8-	श्री चन्दन कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, सारण- 9650568336	पु0अ0नि0 माधव यादव, जनता बाजार थाना- 865141002	जनता बाजार थाना क्षेत्र
9-	श्री पुष्पेश कुमार, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, छपरा- 8544412390	पु0अ0नि0 जगन्नाथ कुमार, मांझी थाना- 9430296890	मांझी थाना क्षेत्र
10-	श्री अजय कुमार अलंकार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण- 9934720874	स0अ0नि0 रामाशीष सिंह, दाउदपुर थाना- 8709307596	दाउदपुर थाना क्षेत्र
11-	श्री विधानचन्द्र राय, जिला योजना पदाधिकारी, सारण- 9431468875	स0अ0नि0 नारायण प्रसाद गुप्ता, नगरा ओ पी- 9430485523	नगरा, खैरा थाना क्षेत्र
12-	श्री रजनीश कुमार राय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सारण- 6287594831	स0अ0नि0 प्रभाकर कुमार कान्त, जलालपुर थाना- 9973066473	जलालपुर थाना क्षेत्र
13-	मो0 इमरान, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर, छपरा- 8544423720	पु0अ0नि0 देवनन्दन प्रसाद, बनियापुर थाना-9939203410	बनियापुर थाना क्षेत्र
14-	श्री तेज नारायण राय, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मढ़ौरा- 9934755007	स0अ0नि0 जितेन्द्र सिंह सहाजितपुर थाना- 7070452632	सहाजितपुर थाना क्षेत्र
15-	श्री कमलाकान्त त्रिवेदी, वरीय उप समाहर्त्ता, सारण- 9716852691	पु0अ0नि0 रामचन्द्र मांझी, मशरक थाना- 8294868729	मशरख थाना क्षेत्र
16-	श्री नलिन प्रताप राणा, अपर अनुमण्डल पदाधिकारी, मढ़ौरा- 9471933023	स0अ0नि0 अमरेन्द्र कुमार, पानापुर थाना- 7903083159	पानापुर थाना क्षेत्र

17-	श्री जनार्दन प्रसाद अग्रवाल, निदेशक, डी आर डी ए, सारण- 9431818419	स0अ0नि0 विजय कुमार राय, अमनौर थाना- 7250493752	अमनौर थाना क्षेत्र
18-	श्री उपेन्द्र ठाकुर, वरीय उप समाहर्त्ता, सारण- 6207293550	स0अ0नि0 दिनेश कुमार, मकेर थाना- 6202145754	मकेर थाना क्षेत्र
19-	श्री प्रशान्त कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, सारण- 9568568588	पु0अ0नि0 उमाकान्त यादव, परसा थाना- 8210826818	परसा थाना क्षेत्र
20-	श्रीमती अनिता सिन्हा, अपर अनुमण्डल पदाधिकारी, सोनपुर- 8130375967	पु0अ0नि0 लव कुमार द्विवेदी, दिघवारा थाना- 9162053547	दिघवारा थाना क्षेत्र
21-	श्री अखिलेश कुमार, कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, सोनपुर- 8986915436	स0अ0नि0 अशोक कुमार सिंह नयागांव थाना- 6205897399	नयागांव थाना क्षेत्र
22-	श्री शशिभूषण कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सारण- 8544426134	स0अ0नि0 संतोष कुमार गुप्ता, डेरनी थाना- 9304554075	डेरनी थाना क्षेत्र
23-	श्री भुवनेश्वर प्रसाद, कार्यपालक दण्डाधिकारी, सोनपुर- 9955406972	पु0अ0नि0 राधा मोहन पंडित, सोनपुर थाना- 9434480932	हरिहरनाथ तथा सोनपुर थाना क्षेत्र
24-	श्रीमती मेनका सिंह, अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सोनपुर- 9304376352	स0अ0नि0 राम कृत प्रसाद, पहलेजा ओ पी- 7779907039	पहलेजा थाना क्षेत्र
25-	श्री अखिलेश कुमार, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सोनपुर- 8544412391	स0अ0नि0 पंकज पंडित, दरियापुर थाना- 9534536407	दरियापुर थाना क्षेत्र
26-	श्री जनार्दन कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण- 6202751123	पु0अ0नि0 सुजीत कुमार-1 गड़खा थाना- 7004621971	गड़खा थाना क्षेत्र
27-	श्री धरीक्षण राम, कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य प्रमण्डल, मढ़ौरा- 8986915188	पु0अ0नि0 लाल बाबू प्रसाद, मढ़ौरा थाना- 9304238432	मढौरा थाना क्षेत्र
28-	श्री रमेश रंजन प्रसाद, कार्यपालक दण्डाधिकारी, मढ़ौरा- 9308737423	पु0अ0नि0 कृत नारायण सिंह, भेल्दी थाना- 9931063502	गौरा ओ पी क्षेत्र
29-	श्री संजय कुमार, अवर निबंधक, मढ़ौरा- 9430617551	स0अ0नि0 सुरेन्द्र भगत, गौरा ओ पी- 6299631440	भेल्दी थाना क्षेत्र

30-	श्री रविशंकर शर्मा, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा- 8544423719	पु0अ0नि0 प्रेम कुमार तिवारी, तरैया थाना- 9955209078	तरैया थाना क्षेत्र
31-	श्री धर्मवीर सिंह, सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई, सारण- 7543028629	स0अ0नि0 अजीत कुमार सिंह, अवतार नगर थाना- 6207498887	अवतार नगर थाना क्षेत्र
32-	श्री ऐश्वर्य कश्यप, वरीय उप समाहर्त्ता, सारण- 9798964553	स0अ0नि0 अलखदेव प्रसाद, इसुआपुर थाना- 8294373306	इसुआपुर थाना क्षेत्र

पूर्व में दिये गये निदेश के अनुरूप क्षेत्र की विधि व्यवस्था का आकलन कर विभिन्न धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और संवेदनशील स्थलों पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के स्तर से आवश्यकतानुसार दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।

8- इस जिले में शिया एवं सुन्नी सम्प्रदाय के मुसलमानों द्वारा पृथक-पृथक त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा कहीं कहीं ताजिया रखने के प्रश्न पर भी तनाव हो जाता है। अतएव यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि दोनों सम्प्रदायों के बीच कहीं पर तनाव नहीं होने पाये।

9- क्षेत्र में कहीं पर भी कभी कभी छोटी-छोटी बातों पर विवाद उत्पन्न हो जाता है। अतएव इस ओर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है। यदि कहीं विवाद उत्पन्न होता है तो प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस को उसे सुलझाने की दिशा में तुरंत निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण निर्णय ले कर उसे दृढ़ता से क्रियान्वित करना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में यदि मामले को नहीं सुलझाया गया तो आगे चल कर स्थिति पेचीदा हो सकती है।

10- सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र के अंचल अधिकारी/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ पुलिस निरीक्षक/ थानाध्यक्ष के साथ बैठक कर क्षेत्र की विधि व्यवस्था की स्थिति का आकलन कर लेंगे तथा संवेदनशील एवं अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर लेगे।

11- सभी थानाध्यक्ष/ अचंल अधिकारी चौकीदार/ दफादार और अन्य सूचना माध्यमों से यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी जुलूस नहीं निकाला जाय।

12- यदि इस आदेश का उल्लंघन कर किसी के द्वारा जुलूस निकालने का प्रयास किया जाता है तो जुलूस को गैर कानूनी मजमा घोषित करते हुए आयोजक पर सख्त कार्रवाई की जाय।

13- सभी अंचल अधिकारी, एवं थानाध्यक्ष विधि व्यवस्था संधारित करने हेतु व्यापक रूप से आसूचनाओं का संग्रह करेंगे। ग्रामीण पुलिस, ग्राम पंचायत तथा अन्य सरकारी या गैर सरकारी अंगो को इस कार्य में लगाना होगा परंतु सदा की भांति थानाध्यक्ष पर हीं इस कार्य का मूल उत्तरदायित्व होगा। पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा समय पूर्व अग्रिम आसूचना संग्रह कर प्रतिवेदित करेंगे तथा असामाजिक तत्वों/ गुंडा तत्वों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखेंगे।

14- मुहर्रम के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी क्षेत्र की विधि व्यवस्था का आकलन कर एवं प्राप्त आसूचना के आधार पर आवश्यकतानुसार अपने स्तर से भी थाना/ अचंल में उपलब्ध बलों एवं दंण्डाधिकारियों को संवेदनशील स्थानों पर प्रतिनयुक्त करेंगे तथा विधि व्यवस्था के उपर सतर्क निगाह रखेंगे।

15- विधि व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने हेतु विभिन्न सेक्टरों का गठन कर वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है जो भ्रमणशील रह कर विधि व्यवस्था की

स्थिति पर नजर रखेंगे। इनके साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी भी भ्रमणशील रह कर विधि व्यवस्था संधारण का कार्य करेंगे। यदि किसी कारणवश इनमें से कोई पदाधिकारी अनुपस्थित रहता है तो संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी उनके स्थान पर वैकल्पिक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

16- अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी सभी वैसे स्थानों जहां तनाव अथवा घटना घटित हुई हो, का स्थल निरीक्षण कर स्थिति की समीक्षा करेंगें तथा आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई एवं शांति समितियों का गठन कर कारगर एवं प्रभावकारी कार्रवाई सुनिश्चित करेगें।

17-सारण जिलान्तर्गत विगत वर्षो में कई ऐसे दृष्टान्त प्रकाश में आये हैं जब साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न होने की संभावना बढ़ गई थीः-

- वर्ष 2015 में दिनांक 26.1.15 को खैरा थानान्तर्गत नगरा ओ.पी. में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के अवसर पर दो समुदाय के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी।
- दुर्गा पूजा 2014 के अवसर पर भगवान बाजार थानान्तर्गत नई बाजार छोटी मस्जिद के पास बजरंग दल के द्वारा निकाले गए मोटर साईकिल जुलूस के नई बाजार छोटी मस्जिद के सामने से गुजरने के समय जुलूस के सामने एक मुर्गा आ जाने पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई थी।
- मढ़ौरा थानान्तर्गत मोथहां गांव में हिन्दु समुदाय की लड़की को प्रेम प्रसंग में मुस्लिम समुदाय के लड़का द्वारा अपहरण की घटना से भी दो समुदाय के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी।
- वर्ष 2016 में मकेर थानान्तर्गत धार्मिक चित्र को अश्लील रुप में वायरल कर देने से पूरे जिला में साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया था।
- दिनांक 22.6.16 को अमनौर थानान्तर्गत ग्राम बलडीहा में हिन्दू युवती का अपहरण मुस्लिम युवक द्वारा किये जाने के कारण तथा दिनांक 13.7.16 को मशरख थानान्तर्गत ग्राम दुमदुमा में मन्दिर के पुजारी ही हत्या को ले कर तथा दिनांक 13.12.16 को मांझी थानान्तर्गत ग्राम अलीपुर में देवी देवताओं की प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दिये जाने के कारण दोनो सम्प्रदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था।
- तरैया के रशीदपुर में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के क्रम में मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा विसर्जन जुलूस को मुस्लिम मुहल्ले से हो कर जाने से मना किया गया। इस बात को ले कर दोनो सम्प्रदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था।
- वर्ष 2017 में दिनांक 4.4.17 को बनियापुर थानान्तर्गत ग्राम छतवा कला में हिन्दू समुदाय के विषय में अभद्र टिप्पणी किये जाने के कारण तथा दिनांक 2.5.17 को खैरा थानान्तर्गत ग्राम गोविन्दपुर में देवी मन्दिर के द्वार को क्षतिग्रस्त करने को ले कर दोनो समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था।
- वर्ष 2018 में दिनांक 26.1.18 को मढ़ौरा थानान्तर्गत ग्राम असोइया हरिजन टोला के मूर्त्ति विसर्जन के क्रम में लगाये जा रहे जयकारे का विरोध मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा किया गया। दिनांक 26.3.18 को मकेर थानान्तर्गत ग्रामपंचायतराज फुलवरिया के कपसहर ग्राम में प्रभुनाथ सिंह की जमीन में बंदर के मृत्युपरान्त हनुमान जी का झण्डा लगाया गया था जिसे रात्रि में किसी ने उखाड़ दिया था। पुनः दिनांक 26.3.18 को

इसुआपुर थानान्तर्गत डोइला बाजार स्थित दुर्गा मन्दिर में स्थापित मां दुर्गा और मां सरस्वती की प्रतिमा को अज्ञात लोगों द्वारा तोड़ दिया गया था। दिनांक 20.4.18 को रिविलगंज थानान्तर्गत ग्राम गोदना में आपसी विवाद को ले कर और दिनांक 28.6.18 को बनियापुर थानान्तर्गत ग्राम इब्राहिमपुर में अवस्थित दुर्गा मन्दिर में से मां दुर्गा के आभूषणो की चोरी हो जाने के कारण दोनो सम्प्रदायों में तनाव उत्पन्न हो गया था।

- वर्ष 2019 में 15.6.19 को बनियापुर थानान्तर्गत ग्राम प्यारेपुर में हिन्दू समुदाय के व्यक्ति की बारात मस्जिद के समीप गुजरने के क्रम में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बाजा बजाने का विरोध किये जाने को ले कर दिनांक 27.6.19 को नयागांव थानान्तर्गत ग्राम बहेरवागाछी में हिन्दू समुदाय के लोगों द्वारा मजार की चादर हटा कर पेशाब करने का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर अपलोड किये जाने के कारण दोनों समुदाय में तनाव उत्पन्न हुआ था।
- वर्ष 2020 में दिनांक 5.4.2020 को पानापुर थानान्तर्गत ग्राम सोनबरसा में मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान दिये जाने को ले कर तथा दिनांक 14.3.2020 को सोनपुर थानान्तर्गत ग्राम हरिहरपुर में शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किये जाने को ले कर दोनों समुदाय में तनाव उत्पन्न हुआ था।

इसी प्रकार मशरक प्रखंड के मदारपुर पंचायत अंतर्गत धवरीगोपाल ग्राम में कब्रिस्तान/ कर्बला पर दो सम्प्रदायों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ था। अतएव इन सभी स्थलों पर विशेष प्रशासनिक सतर्कता अपेक्षित है।

18- मुहर्रम स्थलों, भीड़-भाड़ वाले जगहों यथा रेलवे स्टेशन तथा बाजार पर विशेष रूप से सुरक्षात्मक कार्रवाई करेगें।

19- असामाजिक तत्वों पर विशेष रूप से निगरानी रखना तथा उसके संबंध में नियमानुसार द.प्र.सं. की धारा-107/113/116 के अन्तर्गत कार्रवाई अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी करना सुनिश्चित करेगें।

20- जिला के सभी पुलिस थानों के थानाध्यक्ष संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी से लगातार समन्वय बनाये रखेंगे और कहीं से भी विधि व्यवस्था के संबंध में सूचना प्राप्त होते ही वरीय पदाधिकारियों को सूचित करते हुए तुरंत घटना स्थल के लिये प्रस्थान करना सुनिश्चित करेंगे। यह ध्यान रखा जाय कि साम्प्रदायिक तनाव तथा विधि व्यवस्था की समस्या वाले स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में बल ले कर ही घटनास्थल पर प्रस्थान किया जाय।

21- संवेदनशील स्थलों पर आवश्यकतानुसार रात्रि में भी प्रतिनियुक्ति बनाये रखना सुनिश्चित करेगें।

22- संवेदनशील क्षेत्रों में स्थानीय पदाधिकारियों का निरंतर सम्पर्क कम्युनिटी के लोगों से बनाये रखेगें तथा आसूचना संकलन कर तत्क्षण कार्रवाई करेगे।

23- आसूचना संकलन की कार्रवाई सभी स्थलों पर सुनिश्चित करेगें तथा विशेष शाखा के स्थानीय अधिकारियों से विशिष्ट सूचना/आसूचना के संबंध में सहयोग प्राप्त करेगें।

24- छोटी-छोटी घटनाओं को भी गंभीरता से लेते हुए उन्हें तत्काल सुलझाने की दिशा में प्रभावकारी कार्रवाई करें तथा इसकी सूचना तत्क्षण नियंत्रण कक्ष में देगें।

25- यदि किसी स्थान पर गंभीर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है और उक्त स्थान पर बल/ दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त नहीं है तो उस परिस्थिति में इसकी सूचना वितन्तु के माध्यम से जिला नियंत्रण कक्ष, छपरा/ अधोहस्ताक्षरी को अविलंब दी जाए। साथ ही अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी सूचना प्राप्त होते ही उक्त स्थल के लिये प्रस्थान करते हुए वहां दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

26- वितन्तु पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले के सभी वितन्तु सेट दिनांक 20.8.2021 से पर्व की समाप्ति तक लगातार खुले रहें। वितन्तु पर्यवेक्षक त्योहार समाप्ति के पश्चात सभी थानो से खैरियत प्रतिवेदन प्राप्त कर संध्या समय अधोहस्ताक्षरी के पास भेजना सुनिश्चित करेंगे।

27- विधि व्यवस्था संधारण एवं पर्यवेक्षण हेतु दिनांक 20.8.2021 से 21.8.2021 तक जिला स्तर पर जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष, सारण का दूरभाष संख्या 06152-242444 है। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार मे डा0 गगन, अपर समाहर्त्ता, सारण (मो0 नं0 9473191268) एवं श्री रहमत अली, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, सारण- 8544428112 रहेंगे। ये मढ़ौरा एवं सोनपुर अनुमंडल के संपर्क में भी लगातार बने रहेंगे। साथ ही नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों का पालीवार रोस्टर निर्धारित कर देंगे। जिला नियंत्रण कक्ष में निम्नलिखित दण्डाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

1- सुश्री चाँदनी सुमन, वरीय उप समाहर्त्ता, सारण- 9530607495
2- श्री रविशंकर, कार्यपालक अभियन्ता, मनरेगा, सारण- 9525226654
3- श्री दीपक कुमार, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सदर, छपरा- 9308977397
4- श्री संजय कुमार ठाकुर, जिला कार्यक्रम पदा0,MDM, सारण- 8510583151
5- श्री राजन गिरी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा सारण-8544411908
6- श्री निशान्त गुंजन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा, सारण- 7004895236
7- श्री नलिनी रंजन, डी एस सी, इन्फ्रा, डी आर डी ए, सारण- 9436764673
8- श्री प्रशान्त कुमार, जिला समन्वयक, LSBA, सारण- 8678090705

पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), पुलिस केन्द्र मे उपलब्ध पुलिस पदाधिकारी/ सशस्त्र बल/ साधारण बल/ महिला पुलिस को जिला नियंत्रण कक्ष मे सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगे।

अपर समाहर्त्ता, सारण और पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, सारण मढ़ौरा एवं सोनपुर अनुमंडल के संपर्क में भी लगातार बने रहेंगे। साथ ही नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों का पालीवार रोस्टर निर्धारित कर देंगे। पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस केन्द्र, सारण उपलब्ध पुलिस पदाधिकारी/ सशस्त्र बल/ साधारण बल/ महिला पुलिस को जिला नियंत्रण कक्ष मे सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगे।

28- जिला अग्निशाम पदाधिकारी, छपरा एक फायर टेंडर की प्रतिनियुक्ति दिनांक 20.8.2021 के प्रातः 6:00 बजे से पर्व की समाप्ति तक जिला नियंत्रण कक्ष में करना सुनिश्चित करेंगे।

29- पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), पुलिस केन्द्र, छपरा जिला नियंत्रण कक्ष में वज्र वाहन की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

30- सभी पदाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पूरी निष्पक्षता एवं कर्त्तव्यनिष्ठा से कार्य करेंगे और यदि कार्य मे कोई शिथिलता पाई जायेगी तो कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

31- सभी थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक के माध्यम से त्योहार समाप्ति के पश्चात् अंतिम प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

32- सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने अपने अनुमण्डल की विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे। जिला की विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में डा0 गगन, अपर समाहर्त्ता, सारण और श्री रहमत अली, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय रहेंगे।

निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त आदेश का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

17.08.21	17.8.21
पुलिस अधीक्षक सारण, छपरा	जिला दण्डाधिकारी सारण, छपरा

ज्ञापांक 3471 / सी
छपरा,दिनांक 17 अगस्त,2021

प्रतिलिपिः–आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा/ पुलिस महानिरीक्षक (विशेष शाखा) बिहार, पटना/ क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, सारण प्रक्षेत्र, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– नगर आयुक्त, छपरा नगर निगम/ अपर समाहर्त्ता, सारण/ अपर समाहर्त्ता विभागीय जांच, सारण/ सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/ सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सारण जिला/ पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस केन्द्र, सारण/ सभी अंचल अधिकारी/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सारण जिला/ कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, पूर्वी एवं पश्चिमी, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी,छपरा/ पुलिस उपाधीक्षक (विशेष शाखा) छपरा/ सभी पुलिस निरीक्षक, सारण जिला/ सभी थानाध्यक्ष, सारण जिला/ वितन्तु पर्यवेक्षक, छपरा/ जिला अग्निशाम पदाधिकारी, छपरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त आदेश को सारण जिला के वेबसाईट www.saran.bih.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगें। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी आदेश की प्रति नहीं प्राप्त होने की स्थिति में उक्त वेबसाईट से डाउनलोड कर लें।

17.08.21
पुलिस अधीक्षक
सारण,छपरा

17.8.21
जिला दण्डाधिकारी
सारण,छपरा